#### स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) सुगंध भवन, पालारिवट्टम कोच्ची-682025 केरल

नंबर: एम के टी /एस पी/ रायबरेली/0009/2019-20

# मसालों के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकृत निर्यातकों को रायबरेली के मसाला पार्क में ज़मीन पट्टे पर देने केलिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण

दिनांक: 16.06.2020

स्पाइसेस बोर्ड, उत्तर प्रदेश के रायबरेली के मसाला पार्क में पट्टे पर देने केलिए प्रस्तावित ज़मीन में मसालों व मसाला उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग आदि की इकाइयों की स्थापना केलिए मसालों के निर्यातक के रूप में रिजस्ट्रीकृत निर्यातकों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई ओ आई) आमंति्रत करता है। बोर्ड द्वारा, सड़क, जलनिकास, पानी, बिजली, भोजनालय, बैंकिंग आदि सिहत आम अवसंरचना सुविधाओं वाले एक स्वतः पूर्ण एन्क्लेव के रूप में मसाला पार्क का विकास किया गया है।

मसाला पार्क में, पट्टे पर दी जाने वाली प्रस्तावित ज़मीन के संलग्न लेआउट में माप के अनुसार 11 भूखंडों में सीमांकित किया गया है। पाँच लाख रुपए, 18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त, प्रति एकड़ की दर में एक बारगी विकास-शुल्क और 1000/- रुपए, 18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त, प्रति एकड़ प्रति वर्ष वार्षिक पट्टा-किराए के भुगतान पर 30 वर्ष की प्रारंभिक अवधि केलिए, निष्पादन और आपसी करार के आधार पर आगे की अवधि के लिए पट्टे के विस्तार के प्रावधान के साथ, ज़मीन पट्टे पर दी जाएगी।

स्पाइसेस बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत निर्यातक, जो मसाला पार्क, राय बरेली में ज़मीन लेने के इच्छुक हैं, वे, निदेशक (विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन, पालारिवट्टम, कोच्ची-682025, केरल को अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति नीचे अनुबंध-1 में दिए गए प्रपत्र में 30-07-2020 को सायं 5.30 तक या उससे पहले भेजें।

# पट्टे के सामान्य निबंधन व शर्ते

 पट्टे की अविध पट्टा-करार के निष्पादन के दिन से प्रारंभ होकर 30 वर्ष (तीस वर्ष) की है, जिसका पट्टाकर्ता (स्पाइसेस बोर्ड) और पट्टेदार (निर्यातक) के बीच के आपसी करार के आधार पर आगे विस्तार किया जा सकता है।

2. पट्टेदार, अगले वित्तीय वर्ष के अप्रैल महीने में या उससे पहले पट्टाकर्त्ता को 1000/- रुपया, 18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त, प्रति एकड़ प्रति वर्ष का वार्षिक पट्टा-किराए (बोर्ड द्वारा संशोधन के अधीन) का भुगतान करेगा ।

3. पट्टेदार, पट्टाकर्त्ता को पट्टे की जमीन केलिए प्रति एकड़ 5.00 लाख रुपए (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त), का एक बारगी अप्रतिदेय विकास- शुल्क का भुगतान करेगा ।

4. पट्टेदार, करार की तारीख के 60(साठ) दिनों के अंदर प्लॉट को अपने कब्जे में करेगा और पट्टेदार द्वारा पट्टे की ज़मीन का उपयोग ईओआई में सूचित उद्देश्य केलिए ही करेगा और मसालों व मसाला आधारित उत्पादों के उत्पादन/विनिर्माण तथा मसालों से संबन्धित ऐसे अन्य कि्रयाकलापों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजनों केलिए प्लॉट का उपयोग व उस पर कब्जा नहीं करेगा।

5. पट्टेदार करार की तिथि से 6 (छह) महीने के अंदर ही ढांचे का निर्माण कार्य / उद्योग प्रारम्भ करेगा और आबंटन की तिथि से 2 (दो) वर्ष के अंदर उसे पूरा करेगा, ऐसा न करने पर पट्टाकर्त्ता अदा की गई पट्टा-राशि व विकास-शुल्क को ज़ब्त करते हुए ज़मीन का आबंटन रद्द करने का अधिकार रखता है ।

6. यदि पट्टेदार के लिए आबंटित जमीन का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए उसका आबंटन किया गया था या पट्टेदार प्लॉट के आबंटन की तिथि से 2 (दो) वर्ष की अवधि के अंदर प्लॉट में वाणिज्यिक उत्पाद / इकाई का परीक्षण-उत्पादन शुरू करने में असफल रहता है या अगर पट्टेदार हड़ताल या तालाबंदी या मुकदमेबाजी के किसी भी कारणवश लगातार 6 (छः) महीने की अवधि के लिए उत्पादों का निर्माण और / या गतिविधियों को चलाना समाप्त करता है, तो पट्टाकर्त्ता पट्टे पर हस्तांतरित परिसर और उसके सभी स्थानों में पुन: प्रवेश कर सकता है, साथ ही सर्वदा यह भी है कि पट्टा पूरी तरह रद्द करने और ऊपर कहे

अनुसार पट्टे पर हस्तांतरित परिसर में पुन: प्रवेश करने के अधिकार के अलावा पट्टाकर्त्ता को, जैसेकि पट्टाकर्त्ता द्वारा उचित समझी जानेवाली राशि, जोकि पट्टेदार से उचित रूप में वसूलीयोग्य हो, मुआवज़े के तौर पर वसल करने का अधिकार होगा।

7. बोर्ड, बोर्ड और पट्टेदारों के बीच हुए समझौते की तारीख से 3(तीन) साल की अवधि के बाद, सामान्य अवसंरचना, जैसेकि, बिजली, पानी, सुरक्षा, सफाई आदि, पर रखरखाव शुल्क के एक हिस्से की वसूली प्रारंभ

करने का अधिकार रखता है।

8. विस्तृत निबंधन और शर्तों को सफल ईओआई आवेदकों के साथ पट्टा-करार में शामिल किया जाएगा ।

मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकरण के वैध प्रमाणपत्र(सीआरईएस) वाले मसाला निर्यातक ईओआई प्रस्तुत करने के लिए पात्र हैं। यदि प्लॉटों के आवंटन के लिए अधिक ईओआई प्राप्त होने के मामले में प्लॉटों के आवंटन के लिए निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार प्राप्त ईओआई का मूल्यांकन किया जाएगा :

1) मसालों के रजिस्ट्रीकृत निर्यातक (10 अंक)

- 2) पिछले दो वर्षों के दौरान मसालों के निर्यात के औसत मूल्य को महत्व (अधिकतम 10 अंक)
- 3) पिछले दो वर्षों के दौरान पुदीना के निर्यात के औसत मूल्य को महत्व (अधिकतम 10 अंक)
- 4) अनु. जन जाति / अनु. जाति निर्यातक (10 अंक)

5) महिला निर्यातक (10 अंक)

बोर्ड, किसी भी / सभी ईओआई आवेदनों को बिना कोई कारण बताए, अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

जमीन संबंधी विवरण / मसाला पार्क के दौरे से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए मसाला पार्क के निम्नलिखित प्रभारी अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है :

मसाला पार्क, गुना : प्रभारी अधिकारी

मसाला पार्क दतौली गाँव हरचंदपुर पीओ रायबरेली

उत्तर प्रदेश – 229303 टेली : 8310208940

इ-मेइल : spicesboardrbly@gmail.com

#### संपर्क विवरण

निदेशक (विपणन) स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन पालारिवट्टम पी ओ कोच्ची-682025,केरल

इ-मेइल : <u>dm.sb-ker@gov.in</u>

ਟੇਕੀ: 0484-2333602

स्थान : कोच्ची

तारीख:16.06.2020

स्रेषकुमार पी. एम्निदेशीह SHKUMAR P.M. निदेशक (विपणन) / Director (Marketing) मिदेशक (विपणन) / SPICES BOARD स्पाइसेस बोर्ड / SPICES BOARD वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Commerce & Industry, Govt. of Industry of Commerce & Commerce & Industry Govt. of Industry of Commerce & Co

मसालों के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकृत निर्यातकों को रायबरेली के मसाला पार्क में ज़मीन पट्टे पर देने केलिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति

	ज़मीन पट्ट पर दन कालए आ	मराय का ज	निष्पापरा		
L	कंपनी का नाम				
2	स्पाइसेस बोर्ड का मसालों के निर्यातक के रूप में रजिस्ट्रीकृत निर्यातक प्रमाणपत्र संख्या (वैध प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)				
3	क्या अनु. जाति / अनु. जन जाति /महिला श्रेणी केलिए योग्य है (प्रमाण संलग्न करें)				
4	संपर्क व्यक्ति का नाम				
5	फोन व इ-मेइल सहित पता				
6	पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात किए कुल मसालों का विवरण ( स्पाइसेस बोर्ड को प्रस्तुत तिमाही विवरणी के अनुसार)	वर्ष	निर्यात की मात्रा (टन में)	निर्यात का मूल्य (लाख रुपयों में)	
		2017-18			
		2018-19			
7	पिछले दो वर्षों के दौरान निर्यात किए कुल पुदीना व पुदीना उत्पादों का विवरण ( स्पाइसेस बोर्ड को प्रस्तुत तिमाही विवरणी के अनुसार)	वर्ष	निर्यात की मात्रा (टन में)	निर्यात का मूल्य (लाख रुपयों में)	
		2017-18			
		2018-19			
8	अपेक्षित प्लॉटों की संख्या/ एवं कुल क्षेत्र				
9	प्लॉटों की संख्या की प्राथमिकता				
10	प्रसंस्करण किए जाने केलिए प्रस्तावित मसालों के नाम व प्रस्तावित प्रसंस्करण का किस्म और अनुमानित प्रस्तावित निवेश, यदि प्लॉटों को आबंटित किया जाता है तो,	मसालों के नाम :			
		प्रसंस्करण का किस्म			
		अनुमानित निवेश			
11	कोई अन्य जानकारी				

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर प्रस्तुत किए गए विवरण मेरे सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।

स्थान : दिनांक :

संपर्क व्यक्ति का हस्ताक्षर कंपनी का नाम मुहर

# Spices Board (Ministry of Commerce & Industry, Government of India) Sugandha Bhavan, Palarivattom Cochin – 682 025 Kerala

## MKT/SP/RBL/0009/2019-20

16.06.2020

INVITATION OF EXPRESSION OF INTEREST FOR LEASING OF LAND IN SPICES PARK AT RAEBARELI TO REGISTERED EXPORTER OF SPICES

Spices Board invites Expression of Interest (EOI) from registered exporters of spices for setting up of units for manufacturing, processing, packaging etc. for spices and spice products in the plots proposed to be leased out in the Spice Park at Raebareli in Uttar Pradesh. The Spice Park has been developed by the Board as a self contained enclave with common infrastructure facilities including road, drains, water, electricity, canteen, banking etc.

The land proposed to be leased in Spices Park is demarcated into 11 plots as per the measurements attached in the layout. The land will be leased out for an initial period of 30 years on payment of one time development fee @ Rs. 5 lakh per acre along with 18% GST extra and annual lease rent @ Rs.1000/- per acre per annum along with 18% GST extra with a provision for extension of lease for further periods based on the performance and mutual agreement.

The Exporters registered with Spices Board, who are willing to take the plots on lease at the Spices Park-Raebareli , may submit their Expression of Interest in the format given in Annexure-1 to the Director (Marketing), Spices Board, Sugandha Bhavan, Palarivattom, Kochi- 682 025, Kerala on or before 5.30 pm on 30.07.2020

## General Terms & conditions of the lease

 The period of lease is 30 years (thirty years) commencing from the day of execution of lease agreement, which may be further extended on mutual agreement between the lessor (Spices Board) and the lessee (Exporter).

2. The lessee shall pay the annual lease rent @ Rs.1,000/- per acre per annum (subject to revision by the Board) along with 18% GST or at the revised rate to the

lessor on or before April of the succeeding financial year.

The lessee shall pay to the lessor an one time non-refundable development charge
 Rs. 5.00 lakh (18 % GST extra) per acre (subject to revision by the Board) for

the allotted plot.

4. The lessee shall take possession of the plot within 60 (sixty) days from the date of agreement and the leased plots shall be used only by the lessee only for the purpose indicated in the EOI and shall not use and occupy the plot for any other purposes other than processing / value addition/ packaging, etc. of spices/ spice based products.

5. The lessee shall start the work for construction of structure/industry within 6 (six) months from the date of agreement and complete the same within 2 years from the date of execution of the agreement failing which lessor has the right to enhance the lease rent or impose penalty or cancel the allotment of the land by forfeiting the

lease amount and developmental charges paid.

6. If the land allotted to the lessee is not put to use for the purpose for which it was

allotted or the lessee fails to start the commercial production/ trial production of the unit in the plot within a period of 2 (two) years from the date of allotment of the plot or if the lessee ceases to carry on the manufacture of products and/ or activities authorised for a period of 6 (six) continuous months for whatever reason including strike or lockout or in any sort of litigation, the lessor shall re-enter upon the demised premises and every part thereof and thereupon the demise granted shall absolutely cease and determine, provided always the lessor shall in addition to the right of termination of the lease and to effect the re-entry as mentioned aforesaid, be entitled to recover as and by way of compensation such amounts as may be considered by lessor as appropriately recoverable from the lessee.

7. The Board reserves the right to start realizing a share of the maintenance charges on common infrastructure viz. electricity, water, security, cleaning, etc, from the lease holders, after a period of 3 years from the date of agreement between the

Board and the lease holders'.

8. Detailed terms and conditions will be included in the lease agreement to the successful EOI applicants.

Spices exporters having valid Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) are eligible to submit EOI. The EOIs received will be evaluated as per the following criteria for allotment of plots, in case more EOIs are received for allotment of plots.

a) Registered exporters of Spices (10 points)

b) Weightage to average value of spices exports during last 2 years (Max.10 points)

c) Weightage to average value of mint exports during last 2 years (Max 10 points)

d) ST / SC Exporter (10 points) e) Woman Exporter (10 points)

The Board reserves the right to reject any / all EOI applications without assigning any reasons thereof.

The following officer in charge of the Spices Park may be contacted for any query relating to plot details or for visit to Spices Park as below:

> The Officer-in-charge Spice Park Datauli Village Hachandapur P.O. Raebarely, Uttar Pradesh-229303 Tel No: 8310208940

Email: spicesboardrbly@gmail.com

#### Contact Details:

The Director (Marketing) Spices Board, Sugandha Bhavan Palarivattom P O Kochi - 682025.Kerala Email: dm.sb-ker@gov.in

Tel: 0484-2333602

Place: Kochi Date: 16.06.2020

SURESHKUMAR P.M Director (Marketing) किट्र जिस् अपिरिन्द्र BOARD एवं उद्योग मंत्रालय, मारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India कोच्ची/Kochi-682 025


# EXPRESSION OF INTEREST FOR LEASING OF LAND IN SPICE PARKS AT RAEBARELI TO REGISTERED AS EXPORTER OF SPICES -FORMAT

	Name of the Company			
2.	Spices Board's valid Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) No. (Attach copy of the valid certificate)	9		
3.	Whether qualify for SC / ST / Woman category ( PI attach proof)			
4.	Name of Contact person			
5.	Address with Phone & E-mail			
6.	Details of total spices exported during last 2 years (as per the Quarterly return submitted to Spices Board)	Year	Quantity Exported (tonnes)	Value Exported (Rs in lakhs)
		2017-18		
		2018-19		
7.	Details of mint & mint products exported during last 2 years (as per the Quarterly return submitted to Spices Board)	Year	Quantity Exported (tonnes)	Value Exported (Rs in lakhs)
		2017-18		
		2018-19		
8.	No. of Plots required & total area			
9.	Preference of Plot Nos.			
10.	Name of spices proposed to be processed and type of processing proposed and approximate investment proposed, if plots are allotted			
11.	Any other information			

I declare that the details furnished above are true to the best of my knowledge and belief.

Place: Date:

Signature of Contact Person Name of the Company Seal



#### 235403/2020/DEVELOPMENT

